सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू
(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार 1 आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/44 दर्ज तिथिः–01.07.2025

1. डा0 मुस्तकीम अली शेख सदीक मोहम्मद जाति धोबी निवासी गांव दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू
2. उम्मेद बक्स पुत्र सदीक मोहम्मद जाति धोबी निवासी गांव दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू
3. समसुदीन पुत्र सदीक मोहम्मद जाति धोबी निवासी गांव दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू
4. अब्दुल वसीम पुत्र याकूब अली खान शेख जाति धोबी निवासी गांव दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू।

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. लालो उर्फ लाल खां पुत्र गनी खां जाति कसाई मुसलमान निवासी गांव दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू
2. स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, चूरू

..........................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री शिवगौतम सोलंकी
अप्रार्थीगणः–श्री संजीव कुमार मीणा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण किसान है तथा गांव दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू के मूल निवासी और मय परिवार के निवास करते हैं। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्यां 425 में खसरा नंबर 927 तादादी 5.6855 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम दूधवाखारा पटवार हल्का दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू में स्थित हैं जिनके प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार हैं जिनके प्रार्थीगण कास्त कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करता है।
2. प्रार्थीगण के उक्त खेत के चिपती हुई अप्रार्थी सं 1 की खातेदारी भूमि खाता सं 375 में खसरा नंबर 1210/928 तादादी 1.6061 हैक्टेयर वाके ... दूधवाखारा, पटवार हल्का दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू में स्थित है ... प्रार्थीगण का सदामत का रास्ता है जिसका उपयोग, उपभोग प्रार्थीगण ... करते रहे हैं। उक्त मार्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:55 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता को नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' मार्क ए से बी दर्शाया गया है उक्त रास्ता (कटाण का) रास्ता दर्ज रिकार्ड नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य आये दिन विवाद व तनाव बना रहता है।

3. प्रार्थीगण अपनी उक्त खातादारी कृषि भूमि के दक्षिण सीमा के चिपकी हुई कृषि भूमि जो कि अप्रार्थी सं. 1 की खातादारी की भूमि जिसके दक्षिण सीमा से उत्तरी सीमा की ओर सुल्तान सिंह पुत्र गोपाल सिंह कस्वाँ के खेत की सीमा के साथ–साथ खसरा नंबर 1210/928 तादादी 1. 6061 हैक्टेयर में से बढ़कर पगडण्डी के जरिये प्रार्थीगण व प्रार्थी के पूर्वज हमेशा ही अपने खेत खसरा नंबर 927 में प्रवेश करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण के पास अपनी उक्त खातेदारी भूमि (खेत) में आने–जाने के लिए उक्त सदामत मार्ग के अलावा अन्य कोई विकल्प मार्ग नहीं है जिसे सलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' मार्क ए से बी दर्शाया गया है जो इस प्रार्थना–पत्र का अभिन्न अंग है जिसे अंश व शुमार माना जावे।

4. प्रार्थीगण व उनके परिवारजन सदामत से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 927 तादादी 5. 6656 हैक्टेयर में विवादित करने के लिए अप्रार्थी सं. 1 की भूमि खसरा नंबर 1210/928 तादादी 1.6061 हैक्टेयर में से दक्षिण दिशा से उत्तरी दिशा की ओर विवादित कर प्रार्थीगण द्वारा अपनी खतेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 927 में प्रवेश करने सदामत उक्त रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है उक्त रास्ता (मार्ग) कटाणी रास्ता न होकर पगडंडी रास्ता है जिसे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को उपयोग, उपभोग करने से मना किया जा रहा है। सलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' मार्क ए से बी दर्शाया गया है जो कि प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 927 में प्रवेश के लिए सुविधाजनक, उपयुक्त व निकटतम एकमात्र रास्ता है जिसे प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर राजस्व नक्शा में तरमीम करवाना चाहते है।

5. यह कि प्रार्थीगण अपनी खातोरी कृषि भूमि खसरा नम्बर 927 में काश्त करने व अन्य कृषि कार्य के लिए नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' मार्क ए से बी लाल रंग दर्शाया गया हे जिसका उपयोग प्रार्थीगण द्वारा करने दिव्नांक 15.06.2025 को जा रहे थे तो अप्रार्थी सं. 01 ने प्रार्थीगण से कहा कि मेरे खेत में से होकर आवागमन नहीं करने दूंगा जिस पर प्रार्थीगण ने कहा कि हम हमेशा से वर्षों से ही इस रास्ते से अपने खेत में आवागमन करते आ रहे है हमारे पास अन्य कोई रास्ता हमारे खेत का नहीं है जबकि अप्रार्थी को ऐसा करने का कोई कानूनी हक, अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने खेत खसरा नम्बर 1210/928 रोही ग्राम दुधवाखारा में से गुजरने के लिए सदामत के रास्ते से दक्षिण दिशा से उत्तरी दिशा की ओर नजरी नक्शा अनेक्चर 'क' मार्क ए से बी लाल रंग दर्शाया गया है के अनुसार अपने खेत खसरा नंबर 927 मे प्रवेश करने एवं विवादित करने के लिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाकर अलग खसरा नंबर कायम करवा लेंवे तथा नक्शा में तरमीम भी करवा लें ताकि अप्रार्थी प्रार्थीगण को विवादित करने में बाधाएं पैदा नहीं करें जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय में पेश किया जरहा है।

6. यह कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 927 रोही ग्राम दूधवाखारा तहसील चूरू में विवादित करने हेतु नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' मार्क ए से बी लाल रंग दर्शाया गया है मार्क ए से बी के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है यदि अप्रार्थी प्रार्थीगण को इस रास्ते से आना–जाना नहीं करने देते है तो प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नंबर 927 को काश्त करने से वंचित होना पड़ सकता है इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्या[illegible] उक्त नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' में दर्शाया गया रास्ता जो अप्रार्थी [illegible]ली 1.6061 हैक्टेयर मेंसे पैमाइश करवाकर 668.25 फिट लम्बाई एवं 10 फिट चौड़ाई कुल तादादी 6683 वर्गफिट अर्थात

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:55 IST
Reason: SelfAttested

कुल 4 बिस्वा 18 बिस्वासी भूमि रास्ता मार्ग के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है जिसके लिए काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानुसार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 927 मेंसे दक्षिण तरफ की 282 फुट लम्बी 23.7 फुट चौड़ी कुल विकासशीली 6683 वर्गफिट अर्थात अर्थात कुल 4 बिस्वा 18 बिस्वासी भूमि जिसे एनेक्चर 'क' में सी से डी लाल रंग से दर्शाया गया है को उक्त रास्ता मार्ग के बदले में अप्रार्थी को निशुल्क भूमि देने को तैयार व सहमत है जिसे प्रार्थीगण के खाते से कम करते हुऐ अप्रार्थी के हक में अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने को सहमत व तैयार है।

7. यह कि श्रीमान् तहसीलदार, चूरू भूमि धारक जरिये सरकार आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये जबकि इनसे किसी प्रकार की रिलीफ या अनुतोष प्राप्त करने की मांग नहीं की गई है।

8. यह कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्द मियाद है एवं मानीय न्यायाल के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि इसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 01 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1210/928 तादादी 1.6061 हैक्टेयर जिसके दक्षिण सीमा से उतरी सीमा की ओर सुल्तानसिंह पुत्र गोपालसिंह कस्वां के खेत की सीमा के साथ–साथ खसरा नम्बर 1210/928 तादादी 1.6061 हैक्टेयर में से होकर पगडण्डी के जरिये प्रार्थीगण हमेशा ही अपने खेत खसरा नम्बर 927 में प्रवेश करते आ रहे है जिसे संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' मार्क ए से बी दर्शाया गया है जो 668.25 फिट लंबाई एवं 10 फिट चौड़ाई अर्थात् कुल 6683 वर्गफिट अर्थात् कुल 4 बिस्वा 18 बिस्वा भूमि जिसे राजस्व रिकार्ड में रास्ता मार्ग दर्ज कर उपयोग– उपभोग की भूमि को अप्रार्थी सं. 1 की भूमि में से कम कर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करने एवं इसके बदले में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 927 में से 282 फुट लम्बी 23.7 फुट चौड़ी कुल तादादी 6683 वर्गफिट अर्थात कुल 4 बिस्वा 18 बिस्वा भूमि दक्षिण तरफ की जिसे एनेक्चर 'क' में सी से डी लाल रंग से दर्शाया गया है को कम करके अप्रार्थी के नाम से दर्ज करने का आदेश तहसीलदार महोदय, चूरू को दिए जाने की महरबानी करे।

9. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव कुमार मीणा ने वकालतनामा पेश किया तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जो इस प्रकार है कि

- रोही ग्राम दूधवाखारा के खसरा 927, 1210/928 में वादी, प्रतिवादी की उपस्थिति मे मौका जांच कर फर्द मौका तैयार कर हस्ताक्षर करवाये गये।
- वाद में प्रार्थी खातेदार खेत खसरा नम्बर 927 द्वारा पडौसी खातेदार के खेत खसरा नम्बर 1210/928 में उत्तर दक्षिण, पश्चिम सीमा के चिपते रास्ते हेतु वाद दायर किया गया है। वर्तमान में खसरा नम्बर 1210/928 में से खेत खसरा नम्बर 927 में आवगमन के लिए रास्ता चालू है। वादी व प्रतिवादी ने उक्त रास्ते को कटानी कर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करने सहमति प्रदान की वादी उक्त रास्ता पूर्व से चला आ रहा है, इस रास्ते अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।
- आबादी ग्राम दूधवाखारा से पूर्वी तरफ [illegible] से गुजरता सदामती रास्ता है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है उक्त रास्ता [illegible] तक है। जोहड़ भूमि से खसरा नम्बर 1210/928 का [illegible] को प्रार्थीगण को खसा नम्बर 1210/928 में [illegible] रिकॉर्ड में दर्ज हेतु वाद दायर किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:55 IST
Reason: SelfAttested

- खसरा नम्बर 1210/928 में से गुजरने वाले रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण, बोरवेल, भवन इत्यादि नहीं हैं। मौके पर रास्ता चालू है। वर्तमान में किसी प्रकार का विवाद नहीं है इस रास्ते की लम्बाई 219 मीटर है।
- उक्त रास्ता सदामत के रास्ते से निकटतम दूरी पर है। खसरा नम्बर 927 के सुविधाजनक अन्य कोई कटानी रास्ता नहीं है। उक्त खेत खसरा नम्बर 1210/928 में से गुजरने वाले रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में जर्द करने हेतु क्षतिपूर्ती हेतु भूमि के एवज में भूमि की सहमति होना बताया गया।
- प्रार्थी– अप्रार्थी ने मौके पर उपस्थित रहकर भूमि को लम्बाई व चौड़ाई 10 फुट को रास्ते के रूप में दर्ज करने की सहमति प्रदान कर मौका रिपोर्ट में आपसी सहमति के हस्ताक्षर किये तथा माननीय न्यायालय के निर्माण के मुताबिक क्षतिपूर्ती की सहमति प्रदान की है।
- आवेदक द्वारा प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 219 मीटर है व आवेदक द्वारा 10 फुट चौड़ाई के रास्ते का आवेदन किया हैं उक्त रास्ता मौके पर चालू है तथा किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कटानी रास्ता नजदीकी में तीनों खेतों को छोड़कर निकलता है जो वादीगण के अनुसार उनके किसी प्रयोजन का नहीं है।
- जांच रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा जोहड़ भूमि खसरा नं. 942/1066 के नजदीक खसरा नम्बर 1210/928 की पश्चिमी सीमा के चिपते रास्ता उत्तर–दक्षिण मौके पर आवागमन हेतु चालू है। मौके पर उपस्थित वादी, प्रतिवादी व व्यक्तियों के अनुसार वर्तमान में उक्त रास्ते पर आपसी सहमति से ख.नं. 927 के काश्तकार आवागमन में काम में लेते है। सदामत का रास्ता आबादी ग्राम दूधवाखारा से जोहड़ तक चालू है, जोहड के पश्चात खसरा नम्बर 1210/928 की पश्चिम सींव के चिपते उत्तर दक्षिण कटानी रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाये तो सभी की सहमति रहेगी। अन्य कोई भी रास्ता इस खसरे से नहीं जुड़ा है। कटानी रास्ता जो राजस्व रिकॉर्ड में उतर की ओर हैं उस खसरे से 500 की दूरी पर है जो सुविधाजनक नहीं है।

10. अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1210/928 तादादी 1.6061 हैक्टेयर जिसके दक्षिण सीमा से उतरी सीमा की ओर सुल्तानसिंह पुत्र गोपालसिंह कस्वां के खेत की सीमा के साथ–साथ खसरा नम्बर 1210/928 तादादी 1.6061 हैक्टेयर में से होकर पगडण्डी के जरिये प्रार्थीगण हमेशा ही अपने खेत खसरा नम्बर 927 में प्रवेश करते आ रहे है जिसे संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' मार्क ए से बी दर्शाया गया है जो 668.25 फिट लंबाई एवं 10 फिट चौड़ाई अर्थात् कुल 6683 वर्गफिट अर्थात् कुल 4 बिस्वा 18 बिस्वा भूमि जिसे राजस्व रिकार्ड में रास्ता मार्ग दर्ज कर उपयोग– उपभोग की भूमि को अप्रार्थी सं. 1 की भूमि में से कम कर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करने एवं इसके बदले में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 927 में से 282 फुट लम्बी 23.7 फुट चौड़ी कुल तादादी 6683 वर्गफिट अर्थात कुल 4 बिस्वा 18 बिस्वा भूमि दक्षिण तरफ की जिसे एनेक्चर 'क' में सी से डी लाल रंग से दर्शाया गया है को कम करके अप्रार्थी के नाम से दर्ज करने का निवेदन किया व अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता संजीव मीणा ने प्राप्त रिपोर्ट [illegible] रास्ता कायम किये जाने पर सहमति जाहिर की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:55 IST
Reason: SelfAttested

11. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों एवं तहसीलदार, चूरू की जांच रिपोर्ट का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। विवेचना से यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता उनके खातेदारी खेत से प्रारंभ होकर अन्य खातेदारी भूमि से गुजरते हुए आगे जाकर समाप्त हो जाता है, किन्तु उक्त रास्ता किसी भी विद्यमान कटानी रास्ते अथवा सार्वजनिक मार्ग से जाकर नहीं मिलता है। यह भी परिलक्षित हुआ कि प्रस्तावित मार्ग अंततः जोहड़ की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाता है, जिससे यह मार्ग आवागमन हेतु सतत एवं उपयोगी संपर्क मार्ग का स्वरूप धारण नही करता है। धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कटानी रास्ता स्वीकृत किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रस्तावित मार्ग किसी विद्यमान रास्ते अथवा सार्वजनिक मार्ग से जुड़कर वास्तविक एवं व्यावहारिक आवागमन का साधन बने। किन्तु वर्तमान प्रकरण में प्रस्तावित मार्ग इस आवश्यक शर्त को पूर्ण नहीं करता है। उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः

आदेश

रास्ता किसी भी विद्यमान कटानी रास्ते अथवा सार्वजनिक मार्ग से जाकर नहीं मिलने के कारण धारा 251—A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं करने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है तथा पत्रावली को अभिलेखागार में दफ्तर दाखिल किया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:55 IST
Reason: SelfAttested